

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

PC-VI No. 114
RBE No. 109/09.

No. E(P&A)I-2008/HL/2

New Delhi, dated 16.06.2009.

The General Managers,
All Indian Railways/PUs

Sub : National Holiday Allowance – Recommendation of
VIth CPC Revision of rates.


Ref : Railway Board's letter of even number dated 01.12.08.

The employees Federations raised certain issues relating to National Holiday Allowance with reference to Board's letter above. The matter has accordingly been re-examined and it has been decided to revise the last pay range slab i.e. Rs. 9701-23730 appearing at S.No. 3 of the table contained in Railway Board's letter dated 1.12.08 (RBE No. 190/08), as Rs. 9701-26170. The revised pay range slabs will now be as under:-

S.No.	Pay in the pay band + grade pay as per VI CPC pay structure	Revised rates of NHA
(1)	(2)	(3)
1	upto 7260	170
2	7261-9700	212
3	9701-26170	280

2. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

3. Please acknowledge receipt.


(Chander Parkash)
Jt. Director Estt.(P&A)
Railway Board.

No. E(P&A)I-2008/HL/2

New Delhi, dated 16.06.2009.

Copy to:


1. The Principal Director of Audit, All Indian Railways.
2. The Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No. 224 Rail Bhawan, New Delhi(with 40 spares).


for Financial Commissioner/Railways.

No. E(P&A)I-2008/HL/2

New Delhi, dated 16.06.2009.

Copy to the FA &CAOs, All Indian Railways & Production Units etc.


(Chander Parkash)
Jt. Director Estt.(P&A)
Railway Board.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

पी सी-VI सं./ 114
आर बी ई सं. 109/09

सं. ई (पी एंड ए)I-2008/एचएल/2

नई दिल्ली, दिनांक / 6.06.2009

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।

विषय: राष्ट्रीय अवकाश भत्ता - छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की
सिफारिश - दरों में संशोधन।

संदर्भ : रेलवे बोर्ड का 01.12.2008 का समसंख्यक पत्र।

बोर्ड के उपर्युक्त पत्र के संदर्भ में कर्मचारी फेडरेशनों ने राष्ट्रीय अवकाश भत्ते के संबंध में कतिपय मुद्दे उठाए हैं। तदनुसार, मामले की पुनः जांच की गई है और यह विनिश्चय किया गया है कि रेलवे बोर्ड के 01.12.2008 के पत्र (आरबीईसं. 190/08) में निहित सारणी के क्रम सं. 3 पर दर्शाए गए अंतिम वेतन रेंज स्लैब अर्थात् 9701-23730/- रूपए को 9701-26170/- रूपए के रूप में संशोधित कर दिया गया है। संशोधित वेतन रेंज स्लैब अब नीचे दिए गए अनुसार होंगे:-

क्र.सं.	वेतन बैंड में वेतन + छठे केन्द्रीय वेतन आयोग वेतन ढांचे के अनुसार ग्रेड वेतन	राष्ट्रीय अवकाश भत्ता की संशोधित दरें
(1)	(2)	(3)
1.	7260 तक	170
2.	7261-9700	212
3.	9701-26170	280

- इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।
- कृपया पावती दें।

(चंद्र प्रकाश)

संयुक्त निदेशक स्था.(पी एंड ए)

रेलवे बोर्ड

सं. ई (पी एंड ए)I-2008/एचएल/2

नई दिल्ली, दिनांक / 6.06.2009

प्रतिलिपि प्रेषित:

- प्रधान लेखा परीक्षक, सभी भारतीय रेलें।
- भारत के उपनियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें) कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।

संयुक्त निदेशक

कृते वित्त आयुक्त, रेलें

...2/-